कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, ग्राम कचान्दुर,
जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़-490024 (ई-मेल : ccmgmchdurg@gmail.com)

क्रमांक/क्रय/CCMGMCH/DRG/2026/ 1000 दुर्ग, दिनांक : 03-7-2026

II रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) द्वितीय सूचना II

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग.) के अंतर्गत चिकित्सालय में स्थापित एक्स-रे उपकरण MultiMobile 2.5 एवं Polyskop B/Multiphos 15 (1 Tube) (Make Siemens Pvt. Ltd.) के मरम्मत एवं वार्षिक रख-रखाव कार्य हेतु "जहां है जैसा है" के शर्त पर रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	मशीन का नाम	मशीन सरल क्रमांक	वार्षिक रख-रखाव दर प्रति मशीन	कर विवरण	कर सहित कुल राशि
01.	X-ray MultiMobile 2.5 (Make Siemens Pvt. Ltd.)	Eqp. No.6640000024404, Sr. No. No. 35068			
02.	X-ray Polyskop B/Multiphos 15 (1 Tube) (Make Siemens Pvt. Ltd.)	Eqp. No.6640000024544, Sr. No. No. 31023-3313-33525			

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रस्तुत करने नियम एवं शर्तें :-

01. वार्षिक रख-रखाव का भुगतान 06-06 माह की अवधि में किया जाएगा, प्रथम भुगतान वार्षिक रख-रखाव के 06 माह पूर्ण करने के पश्चात् एवं अंतिम भुगतान 01 वर्ष सफलतापूर्वक सेवा प्रदाय किये जाने तथा सर्विस रिपोर्ट की प्रति प्रदाय करने के पश्चात् किया जाएगा। यदि वार्षिक रखरखाव संतोषप्रद नही किये जाने की स्थिति में आदेश निरस्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
02. रूचि की अभिव्यक्ति से प्राप्त दर की वैधता 01 वर्ष तक रहेगी, जिस हेतु राशि रू. 50/- के गैर न्यायिक (Non-Judicial) स्टॉम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (कार्यालयीन प्रारूप अनुसार)।
03. EOI दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे। दर अंको एंव शब्दो दोनो में अंकित की जानी चाहिए।
04. रखरखाव हेतु चिकित्सालय में भौतिक निरीक्षण स्वयं कर दर प्रस्तुत करें। "जहाँ है जैसा है" के शर्त पर रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित है।
05. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी./सी.एम.सी) का दर मशीनों की वर्तमान स्थिति को देखकर ही उल्लेखित करें। साथ ही मरम्मत कार्य में लगने वाले पार्ट्स की दर भी पृथक से उल्लेख करें, जो अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
06. आपातकालीन स्थिति (दूरभाष) पर बुलाये जाने पर 24 घंटे के भीतर सर्विस देना अनिवार्य होगा।
07. रखरखाव का कार्य संतोषप्रद होने पर समान शर्तें एवं दरों पर वैधता बढ़ाई जा सकती है।
08. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं है।
09. उक्त कार्य निर्माता/अधिकृत पंजीकृत अनुभवी फर्म एवं सर्विस प्रोवाईडर उक्त प्रस्ताव में शामिल हो सकते है।
10. सेवा प्रदाय किये जाने के उपरांत सर्विस रिपोंट प्रदाय करनी होगी जो विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित करा कर प्रस्तुत करें।
11. समस्त क्रय/रखरखाव कार्य की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भंडार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे।
12. वार्षिक रखरखाव हेतु वर्णित संख्या के आदेश में कमी या वृद्धि की जा सकती है। दर्शित संख्या अनुमानित है। शर्तें के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में या किसी भी विवाद की स्थिति मे आदेश निरस्त किया जा सकता है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती।

क्रमशः....02....